न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/201

1. नरेश कुमार आत्मज घनश्या मजी जाति माली ।
2. भंवर लाल आत्मज जुगलकिशोर जी जाति माली ।
3. रामप्रसाद आत्मज जुगलकिशोर जी जाति माली ।
4. बबलू आत्मज जुगलकिशोर जी जाति माली ।
5. पुरूषोत्तम आत्मज मोतीलाल जी जाति माली ।
6. पप्पू आत्मज मोती लाल जी जाति माली ।
7. बिट्टू आत्मज मोतीलाल जी जाति माली ।
8. बसन्ती लाल आयु 16 वर्ष आत्मज मोतीलाल जरिये नाबालिग वली माता कस्तूरी बा पत्नी मोतीलाल जी जाति माली निवासीगण ग्राम रंगतलाब उर्फ काला तालाब तहसील लपाड़पुरा जिला कोटा ।

———अपीलान

बनाम

1. घनश्याम आत्मज भागा जी
2. जुगल किशोर आत्मज भागा जी ।
3. मोती लाल आत्मज भागा जी ।
4. हरिशंकर आत्मज कन्हैया लाल ।
5. अनिता कुमारी पुत्री कन्हैया लाल ।
6. पार्वती बाई बेवा कन्हैया लाल ।
7. रामकन्या बाई बेवा भागा जी जाति माली निवासीगण कालातालाब उर्फ रंगतालाब तहसील लाड़पुरा जिला कोटा ।
8. सरीन आत्मज सुबराती जाति मुसलमान निवासी महात्मा गॉधी कोलोनी गली नम्बर 01 कोटा जं0 कोटा ।
9. सुमती अम्मा पत्नी सोमन पिल्लई निवासी नयापुरा थाने के सामने कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाड़पुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राजेन्द्र कुमार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 8 व 9 की ओर से ।

दिनांक: 18.03.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम कालाताला‌ब उर्फ रंगतलाव तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 317 रकबा 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 318 रकबा 1.06 हैक्टर कुल 02 किता की 1.09 हैक्टर भूमि स्थित है । प्रार्थीगण के पिता प्रतिपक्षी कम 1 से 3 व अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण दर्ज है । उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो पूर्व में प्रार्थीगण के दादा भागा वल्द मथुरालाल जी केनाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । भागा जी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिपक्षी कम 8 द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिपक्षी कम 1 से 3 व 9 का नाम दर्ज किया गया व भागाजी के पुत्र कन्हैयालाल के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी प्रतिवादी कम 4 से 6 के नाम दर्ज की गई। प्रार्थी कम 1 अप्रार्थी कम 1 का पुत्र है । प्रार्थीगण कम 2 से 4 अप्रार्थी कम 2 के पुत्र हैं तथा प्रार्थीगण कम 5 से 8 अप्रार्थीगण कम 3 के पुत्र हैं जिनका जन्म से ही उक्त आराजीयात में स्वत्व व अधिकार है तथा प्रार्थीगण अपना हिस्सा भूमि प्राप्त करे के अधिकारी हैं । अप्रार्थी कम 7 व 9 वादग्रस्त आराजी पर निर्माण सामग्री डाल कर निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं । प्रार्थीगण ने मौके पर जाकर अप्रार्थी कम 7 व 9 से पूछताछ की तो उन्होंने उक्त भूमि कय करना बताया । अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार उक्त भूमि बाबत् नहीं है कि वे उक्त कृषि को अकृषि मे परिवर्तित कर उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य करें । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व हिस्सा आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन व बेचान नहीं करे व अन्य किसी प्रकार से अन्तरण करे और उक्त कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.05.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगंण के दादा श्री भागा आत्मज मथुरा लाल जी हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद भी अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट कम 1 से 7 के वारिस होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अपीलान्ट को

उक्त भूमि पर जन्म से ही विधिक अधिकार प्राप्त है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा ६ व 8 के अनुसार सहदायिकता सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है चाहे खातेदार दर्ज हो या ना हो । उक्त पुश्तैनी भूमि पर अपीलान्ट को अपने पिता के जीवनकाल में ही पिता की पैतृक सम्पत्ति होने से अधिकार प्राप्त होते हैं । सिविल न्यायालय में अपीलान्ट के पिता घनश्याम द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था वो फर्जी रूप से मुख्तारआम जो अपंजीकृत को अवैधानिक किये जाने बाबत् पेश किया है जिसका अपीलान्ट से लेना–देना नहीं है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पुश्तैनी आराजीयात होने के-कारण धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है जो जैरकार है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था साथ में स्थगन प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें अपीलान्टगण का जन्म से अधिकार है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है । पिता के जीवनकाल में हिन्दू पुत्र को पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हैं। अपीलान्ट ने घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था । पैतृक सम्पत्ति में पिता द्वारा भूमि का हस्तान्तरण की आशंका होने से अस्थायी निषेधाज्ञा मांगी गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का हित होते हुए भी उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था । अपीलान्ट के पिता द्वारा सिविल न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त हो चुका है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लिखित बहस पेश की गई थी उसमें उल्लेखित नजीरों का भी स्पष्ट रूप से विवेचन निर्णय में नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2002 (1) पेज 373, 516, आरआरटी 2009 (1) पेज 141, आरआरटी 2007 (2) पेज 813, आरआरटी 2010 (1) पेज 221, आरआरटी 1982 पेज 159, आरआरटी 1981 पेज 512, आरएलडब्ल्यू 2005 (2) पेज 2018 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि नहीं है उस पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है आबादी से लगी हुई है, कई मकान बन चुके हैं। अप्रार्थीगण क्रम 1 से 6 व 9 के द्वारा एक मुख्तारनामा नवल किशोर के पक्ष में आलेखित किया गया था । तदोपरान्त मुख्तारआम के द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 316, 317 व 318 पर गणपति एनक्लेव के नाम कॉलोनी का विकास कर उसमें भूखण्ड काट दिये हैं और इनमें से भूखण्ड संख्या 14 अप्रार्थी क्रम 7 को विक्रय कर कब्जा संभलाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 से 7 के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया था । भूखण्ड संख्या 14

एवं 20 के बाबत् एक दावा सिविल न्यायालय में लम्बित है । इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्टगण के द्वारा अपील के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 पेश की है जिसके अनुसार वादग्रसत आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 के खाते में दर्ज है । एक अन्य जमाबन्दी सवंत् 2038 से 2057 पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 317, 318 और 316 की 03 किता की 02 हैक्टर आराजी रामवक्श, मांगीलाल पिसरान ग्यारसी हिस्सा 1/2, भागा पुत्र मथुरा हिस्सा 1/2 दर्ज है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मुख्तारनामे की जो फोटो प्रति संलग्न है वो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 के द्वारा नवल किशोर शर्मा के पक्ष में निष्पादित किया गया है और नवलकिशोर शर्मा के द्वारा वादग्रस्त आराजी में गणपति एनक्लेव के नाम से कोलोनी में भूखण्डों के विक्रय के लिए किये गये इकराने की फोटो प्रतियॉ भी पत्रावली में शामिल हैं । सिविल न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा पेश किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की प्रति और सिविल न्यायालय के निर्णय दिनाक 18 जुलाई, 2014 की प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का प्रार्थना पत्र भूखण्ड संख्या 14 और 20 के बाबत् खारिज किया गया है और इसकी अपील भी खारिज की गई है । अपीलान्टगण ने यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी उनकी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें उनको जन्म से अधिकार प्राप्त है । उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 के खाते में दर्ज है जिनके द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो मुख्तारनामे की प्रति और इकरारनामे की प्रतियॉ शामिल हैं उनसे प्रथमदृष्टया यही प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 ने मख्तारआम नवल किशोर शर्मा को नियुक्त किया गया है जिन्होंने इस कृषि भूमि के भूखण्डों के विक्रय के लिए इकरारनामे निष्पादित किये हैं । सिविल न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा इसी आराजी के काटे गये भूखण्डों के बाबत् पेश किये गये प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है । इन समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथमदृष्टया यही प्रमाणित होता है रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज है उनके द्वारा आराजी मुख्तारआम के जरिये भूखण्डों के रूप में विक्रय के इकरार के माध्यम से अनतरण कर कब्जे का अन्तरण कर दिया गया है ।

12. अपीलान्टगण स्वयं को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 के पुत्र बताते हैं और पिता के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में अपने अधिकारों के बाबत् दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपीलान्टगण के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के दौरान तय होंगे इस स्टेज नहीं । वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा नहीं है ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीरें इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 जो कि वादग्रस्त आराजी के

खातेदार कृषक हैं उनके द्वारा मुख्तारआम के माध्यम से आराजी को भूखण्डों में विक्रय के लिए इकारनामे निष्पादित किये गये हैं और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा सिविल न्यायायल में भी अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो खारिज हो चुका है ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा